रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 1970/आषाढ 5, 1892

No. 120] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 1970/ASADHA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June 1970

G.S.R. 971.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (e) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rules (2) and (4) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby reappoints Shri Prithvi Singh Azad to be a director in the Board of Directors of the Food Corporation of India.

[No. F. 4-3/70-FCC.]

H. K. TANDON, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1970

का० आ० सं० 971 :—खाद्य निगम अधिनियम 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (2) जो कि उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के साथ पढ़ी जाती है और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (2) और (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मण्डल में श्री पृथ्वी सिंह आजाद को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 4-3/70-एफ/सी०सी०]

हरि कृष्ण टमटन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970